राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1788/2023

मंजू देवी गुर्जर —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), जिला परिषद्, दौसा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.07.2023
आदेश की दिनांक : 25.07.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2008 (अनुलग्नक—1) द्वारा प्रबोधक शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, गुढ़ाकटला, बांदीकुई में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 (अनुलग्नक—2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, गुढ़ाकटला, बांदीकुई से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहांगिरिया (सिकराय), दौसा अन्य अध्यापक को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.02.2023 (अनुलग्नक—3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का पदस्थापन दिनांक 30.04.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, गुढ़ाकटला, बांदीकुई से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहांगिरिया (सिकराय), दौसा में किया गया था। उस समय बांदीकुई ब्लॉक में पद रिक्त नहीं थे परन्तु वर्तमान में बांदीकुई ब्लॉक में पद रिक्त है। अतः अपीलार्थी का

पदस्थापन शहीद अजीत सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाग की ढाणी (नारायणपुरा), बांदीकुई में रिक्त पद पर किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)